उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या - 115 /78-2-2022/1599060
लखनऊ, दिनांक 11 अक्टूबर ,2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति,2021 (आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2021/1792/78-2-2020 /254एलसी/2019 दिनांक 28 जनवरी,2021 द्वारा अधिसूचित) के अधीन गैर वित्तीय प्रोत्साहन के पैरा 1 के उप पैरा 8.1 के अधीन मिशन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में उपबन्ध है कि **राज्य में डाटा सेन्टर उद्योग को आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) के अधीन वर्गीकृत किया जायेगा ;**

और चूंकि डाटा सेन्टर उद्योग, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आता है, जिसका निर्बाध संचालन किया जाना अपेक्षित है ;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखंड (छ:) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" के अधीन राज्य में स्थापित डाटा सेन्टर उद्योगों को "अत्यावश्यक सेवा" घोषित करती हैं।

आज्ञा से,

( अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनवेस्ट यूपी, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोयडा
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ ।
8. निदेशक, मुद्रण एवं स्टेशनरी, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उ0प्र0 सरकार के आगामी प्रकाशित होने वाले गजट के भाग- 4 खण्ड वी में प्रकाशित कराते हुए इसकी 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार विनीत)
विशेष सचिव

o/c

**Government of Uttar Pradesh**
**IT evam Electronics Anubhag-2**

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. dated

## NOTIFICATION

No.115/LXXVIII-2-2022/1599060
Lucknow: dated 11·10·2022

WHEREAS, there is a provision regarding Mission Critical Infrastructure under sub-para 8.1 of para 1 Non-Fiscal Incentives under Uttar Pradesh Data Centre Policy-2021 (notified vide IT & Electronics Section-2 notification No 4/2021/1792/78-2-2020/254LC/2019 dated 28-01-2021) providing that the Data Centre Industry in the State shall be classified under Essential Services and Maintenance Act 1966 (Uttar Pradesh Act no. 30, 1966 as amended 1982 and 1983) as an essential service provider.

AND WHEREAS, the Data Centre Industry falls under the category of Critical Infrastructure, which requires to be operated uninterruptedly;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (vi) of clause (a) of section-2 of Essential Services and Maintenance Act, 1966, the Governor is pleased to declare the Data Centre Industries established in the State under the "Uttar Pradesh Data Centre Policy-2021", to be an "essential service"

By order

(Arvind Kumar)
Additional Chief Secretary

No.115(1)/ 78-2-2022 dated 11·10·2022

Copy forwarded to the followings for information and necessary action:-

1. Accountant General, UP, Prayagraj
2. IIDC, Government of UP.
3. Chief Executive Officer, Invest UP, Lucknow.
4. Chief Executive Officer, YEIDA, Greater NOIDA.
5. Chief Executive Officer, NOIDA.
6. Chief Executive Officer, Greater NOIDA.
7. Managing Director, Uttar Pradesh Electronics Corporation Ltd, Lucknow
8. Director Printing & Stationery, Aishbagh, Lucknow with direction to publishh above notification in next publication of the part-4, Division-B of Extraordinary Gazette, U.P. Legal Annexure and to make available 500 copies of it to U.P. Gov. Immediately.
9. Guard File.

By Order

(Kumar Vineet)
Special Secretary,

o/c